क्रम-संख्या--272

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खंड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 19 नवम्बर, 1976

कार्तिक 28, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4932/सत्रह-वि-1—120-76

लखनऊ, 19 नवम्बर, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 17 नवम्बर, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37, 1976)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह 1 मई, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961 में नयी धारा 9—क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1961, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था

"9—क—जब प्रमुख, अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो और उप-प्रमुख के पद रिक्त हों या जब उप-प्रमुख, यदि कोई हो, जो प्रमुख के पद की रिक्ति के दौरान धारा 83 के अधीन कार्य कर रहा है, अपने कृत्यों का निर्वाह, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से करने में असमर्थ हो, तब जिस दिनांक तक कि, यथास्थिति, प्रमुख अथवा उप-प्रमुख अपने कर्तव्यों को फिर से संभाले, उस दिनांक तक जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा प्रमुख के कृत्यों का निर्वाह करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकता है, जिसे वह ठीक समझे।"

नयी धारा 21—क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

कुछ मामलों में अस्थायी व्यवस्था

"21-क—जब अध्यक्ष, अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो, और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष के पद की रिक्ति के दौरान धारा 60 के अधीन कार्य कर रहा है, अपने कृत्यों का निर्वाह अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से करने में असमर्थ हो, तब जिस दिनांक तक कि, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभाले, उस दिनांक तक राज्य सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वाह करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है, जिसे वह ठीक समझे।"

निरसन तथा अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उ० प्र० अध्यादेश संख्या 20 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

No. 4932/XVII-V-1—120-76

Dated Lucknow, November 19, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis Aur Zila Parishad (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 37 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 17, 1976:

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA SAMITIS AND ZILA PARISHADS (AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. Act no. 37 of 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Amendment) Act, 1976.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 1, 1976.

2. *After* section 9 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 9-A in U. P. Act no. XXXIII of 1961.

"9-A. Temporary arrangement in certain cases. When the Pramukh is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, and the office of Up-Pramukhs are vacant, or when the Up-Pramukh, if any, acting under section 83 during a vacancy in the office of Pramukh is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the District Magistrate may by order, make such arrangement, as he thinks fit, for the discharge of the functions of the Pramukh, until the date on which the Pramukh or Up-Pramukh, as the case may be, resumes his duties."

3. *After* section 21 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 21-A.

"21-A. Temporary arrangement in certain cases. When the Adhyaksha is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, and the office of Upadhyaksha is vacant or when the Upadhyaksha acting under section 60 during a vacancy in the office of Adhyaksha is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the State Government may by order, make such arrangement, as it thinks fit, for the discharge of the functions of such Adhyaksha until the date on which the Adhyaksha or Upadhyaksha, as the case may be, resumes his duties."

Ordi- no. 20 4. (1) The Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Second Amendment) Ordinance, 1976 is hereby repealed. Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the principal Act as amended by the aforesaid Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।